

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 10/2025 – केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 मार्च, 2025

सा.का.नि.....(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2017-केंद्रीय कर, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 609(अ), दिनांक 19 जून, 2017 के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

(i) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"7.	अलवर	राजस्थान राज्य में अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली- बेहरोड, भरतपुर, डीग, ढोलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और झुंझुनू के जिले।";
-----	------	---

(ii) क्रम संख्या 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"23.	चेन्नई आउटर	तमिलनाडु राज्य में चेन्नई निगम जोन संख्या I से XV (01.04.2017 को मौजूद वार्ड संख्या 1 से 200) और सेंट थॉमस माउंट छावनी बोर्ड को छोड़कर विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, थिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, तिरुपथुर, रानीपेट, थीरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टूर जिले और पल्लवाराम छावनी बोर्ड के अंतर्गत शामिल क्षेत्र,";
------	-------------	--

(iii) क्रम संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"49.	जयपुर	राजस्थान राज्य में जयपुर, अजमेर, व्यावर और टोंक के जिले।";
------	-------	--

(iv) क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"53.	जोधपुर	राजस्थान राज्य में जोधपुर, फलौदी, नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली, सिरोही, जालोर, बारमेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ के जिले।";
------	--------	--

(v) क्रम संख्या 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"63.	मदुरै	तमिलनाडु राज्य में (वेदासंदूर तालुक के पलायम फिरका के डी. गुडालुर गांव को छोड़कर) मदुरै, रामनाथपुरम, शिवगागई, विरुधुनगर, तुतिकोरिन, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी, तेनी, डिंडीगुल के जिले। तमिलनाडु राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा है।";
------	-------	--

(vi) क्रम संख्या 100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"100.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली, पेरामलूर, अरियालुर, करूर, पुदुक्कोट्टई, थंजावुर, थिरुवरूर, नागापट्टिनम, मयिलादुथुरै, कुड्डालोर जिले और डिंडीगुल जिले के वेदसंदूर तालुक के पलायम फिरका का डी. गुडालूर गांव के जिले।";
-------	---------------	--

(vii) क्रम संख्या 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"102.	उदयपुर	राजस्थान राज्य में उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, बारा, कोटा और झलावार के जिले।";
-------	--------	--

[फा. सं सीबीआईसी-20016/8/2025-जीएसटी]

(रौशन कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 02/2017-केंद्रीय कर को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 609(अ), दिनांक 19 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 27/2024-केंद्रीय कर द्वारा संशोधित किया गया, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 729(अ), दिनांक 25 नवंबर 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था।